

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, मंगलबार, फरवरी 8, 2011/माघ 19, 1932

No. 59]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2011/MAGHA 19, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 70(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 13 का निम्नित्यिखत और संशोधन करती है, अर्थात् :—

- 1. अनुसूची 13 के भाग 2, खण्ड 2 में, ---
 - (i) उप-पैरा (ग) के तीसरे परंतुक में "अभिप्राप्त कर लिया जाता है" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"यदि कम्पनी कोई सूचीबद्ध कम्पनी है या किसी सूचीबद्ध कम्पनी की समनुषंगी है";

- (ii) खण्ड (2) के स्पष्टीकरण 4 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् ;— "इस धारा के प्रयोजन के लिए "पारिश्रमिक समिति" से,——
 - (i) किसी सूचीबद्ध कम्पनी के संबंध में कोई सिमिति अभिप्रेत है जिसमें कम से कम तीन गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं जिसके अंतर्गत नामनिर्देशिती निदेशक या नामनिर्देशिती निदेशकों यदि कोई हों, भी हैं; और
 - (ii) किसी अन्य कम्पनी के संबंध में कोई निदेशकों की पारिश्रमिक समिति अभिप्रेत है";
- 2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 14/3/2011-सीएल-VII]

डॉ. टी. वी. सोमनाथन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल अनुसूची कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा सं. सा.का.नि. 559(अ), तारीख 10-6-1998 के तहत अंत:स्थापित की गई थी और उसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए हैं :

- (i) सा.का.नि. 784(अ), तारीख 13-7-1988
- (ii) सा.का.नि. 723(अ), तारीख 18-9-1990
- (iii) सा.का.नि. 510(अ), तारीख 14-7-1993
- (iv) सा.का.नि. 48 (अ), तारीख 1-2-1994
- (v) सा.का.नि. 418(अ), तारीख 12-9-1996
- (vi) सा.का.नि. 215(अ), तारीख 2-3-2000
- (vii) सा.का.नि. 36(अ), तारीख 16-1-2002

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2011

G.S.R. 70(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule XIII to the Companies Act, 1956, namely:—

- In the Schedule XIII, in Part II, in Section II—
 - (i) in sub-para (C), in third proviso, after the word, "scale" occurring at the end, the following words shall be inserted, namely:—
 - "if the company is a listed company or a subsidiary of a listed company";
 - (ii) for Explanation IV, to the Section II, the following Explanation shall be substituted, namely:—
 - "For the purposes of this section, "Remuncration Committee" means;—
 - (i) In respect of a listed company, a committee which consists of atleast three non-executive independent directors including nominee director or nominee directors, if any; and
 - (ii) in respect of any other company, a Remuneration Committee of Directors";
- 2. It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. 14/3/2011-CL-VII]

Dr. T.V. SOMANATHAN, Jt. Secy.

Note:— The Principal Schedule was inserted by the Companies (Amendment) Act, 1988 vide No.G S.R. 559(E), dated 10-6-1998 and subsequently amended vide—

- (i) G.S.R. 784(E), dated 13-7-1988
- (ii) G.S.R. 723(E),dated 18-9-1990
- (iii) G.S.R. 510(E), dated 14-7-1993
- (iv) G.S.R. 48(E), dated 1-2-1994
- (v) G S.R. 418(E), dated 12-9-1996
- (vi) G S.R. 215(E), dated 2-3-2000
- (vii) G S.R. 36(E), dated 16-1-2002.